न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

ऑर्डर शीट

प्रकरण संख्या 97/2017 अनेवान आदर्श सिंह बनाम JDA व और 19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-6-24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया जो कि उपायुक्त (उत्तर) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के द्वारा टी.सी. नं 02 के पत्र में पट्टा विलेख नं. 6820 दिनांक 20-06-2013 को नवीन किया गया है के विरुद्ध यह अपील धारा 90-A RLR Act के तहत अपीलान्ट ने पेश की है। उक्त अपीलाधीन आदेश एवं धारा 90-A राज.टे.राजस्व अधिनियम का अवलोकन किया गया। उल्लेखित पट्टा विलेख के विरुद्ध धारा 90 A(9) के तहत अपील के नतीजे चुनौती दी गई है। धारा 90 A RLR के तहत खातेदार द्वारा भूमि का रजाधिर्य परिवर्तन करते हुए कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करने बाबत राज्य प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध धारा 90 A RLR के तहत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त को प्राप्त है। अपीलाधीन पट्टा विलेख के विरुद्ध सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं है। ऐसे में प्रस्तुत अपील अपीलान्ट को सक्षम स्तर पर पेश करने हेतु लौटाई जाती है। ZAR	

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर